(b) the matters for which Tribunals (excluding Services Tribunals) as envisaged in Part-XIV-A of the Constitution need to be established expeditiously and various aspects related to their establishment and working.

(c) the procedural laws with a view generally to disposing of cases expeditiously eliminating unnecessary litigation, delays in hearing of cases and reforms in procedures and procedural laws and particularly to devising procedures appropriate to the forms envisaged in items (a) (i) and (a) (ii).

(d) the method of appointments to subordinate courts, subordinate judiciary.

(e) the training of Judicial Officers.

(f) the role of the legal profession in strengthening the system of administration of justice.

(g) the desirability of formulation of the norms which the Government and the Public Sector Undertakings should follow in the settlement of disputes including a review of the present system for conduct of litigation on behalf of the Government and such Undertakings.

(h) the cost of litigation with a view to lessening the burden on the litigants.

(i) formation of an All India Judicial Service; and

(j) such other matters as the Commission considers proper or necessary for the purposes aforesaid or as may be referred to it from time to time by the Government.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गोबर गैस संयंत्र

964. **डा० रत्नाकर पाण्डेय:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गोबर गैस/जैविक गैस संयंत्रों का निर्माण किया गया ;

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए संयंत्रों की जिलावार संख्या क्या है; और

(ग) इनमें से कितने प्रतिशत संयंत्रों में सामान्य तौर पर गैस का उत्पादन हो रहा है तथा बन्द संयंत्रों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) पिछले तीन वर्षों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खा०ग्रा०आ०) द्वारा स्थापित किये गये गोबर गैस/बायो गैस संयंत्रों की संख्या नीचे दी गयी है :-

वर्ष	देश में खा०ग्रा०आ० द्वारा स्थापित संयंत्रों की संख्या
1984-85	18,105
1985-86	18,191
1986-87	22,062 (अनंतिम)

(ख) एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिये)

(ग) 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किये गये संयंत्रों में से 20 प्रतिशत संयंत्रों का अक्रमिक रूप से चुनकर सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया था कि जिन 157 संयंत्रों का सर्वेक्षण किया था उनमें से 93 प्रतिशत संयंत्रों के कार्यरत होने की सूचना मिली थी । योजना के भीतर ऐसा प्रावधान है कि दो वर्ष की गारंटी अवधि के भीतर संयंत्रों की संरचनात्मक गड़बड़िया क्षेत्रीय कार्याधिकारियों (फील्ड पाक्शनरीज) द्वारा ठीक की जाएंगी दो वर्ष की वारंटी अवधि के बाद खराब होने वाले संयंत्रों के बारे में इनकी मरम्मत हेतु अपा परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत प्रति संयंत्र 500 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है । इसका उपयोग सम्बन्धित लाभग्राहियों द्वारा किया जा सकता है ।

विवरण

1984-85 से 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित किये गये संयंत्रों का जिला वार विवरण ।

क्रमांक	जिले का नाम	संयंत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	11
2.	रामपुर	221
3.	शाहजहांपुर	44
4.	मेरठ	88
5.	बिजनौर	18
6.	गाजियाबाद	75
7.	सहारनपुर	6
8.	मुजफ्फरनगर	198
9.	पीलीभीत	207
10.	बरेली	20
11.	मुरादाबाद	128
12.	एटा	73
13.	मैनपुरी	8
14.	इलाहाबाद	9
15.	गाजीपुर	5
16.	वाराणासी	43
17.	बलिया	6
18.	मिर्जापुर	14
19.	नैनीताल	1685
20.	चमोली	3
21.	रायबरेली	91
22.	उन्नाव	11
23.	हरदोई	15
24.	लखनऊ	5
25.	अलीगढ़	1
26.	अलमोड़ा	21
27.	बांदा	1
28.	बुलन्दशहर	6
29.	देहरादून	9
30.	फैजाबाद	27
31.	गोन्डा	2
32.	जौनपुर	2
33.	झांसी	1
34.	खीरी	1
35.	आजमगढ़	5
36.	प्रतापगढ़	23
37.	टिहरी	1
38.	पौड़ी गढ़वाल	5
39.	मथुरा	2
	जोड़	3091

Overcharging by ACC on sale of non-levy cement in West Bengal

965. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that ACC had been overcharging the consumers in West Bengal on the sale of non-levy cement from April, 1985, and when objected to supplies from July, 1985 onwards were suspended without notice to Purulia District;

(b) whether there is any fixation of retail selling price for non-levy cement by Cement Manufacturers' Association applicable to its members;

(c) whether it is also a fact that ACC stockists who exposed the wrong doings of ACC were victimised by terminating their stockistship and that ACC has illegally realised about Rs. 10 crores as a result of overcharging; and

(d) if so, the action of the Government thereto?